



# Samvaad

Dhanak Booklet on FAQs on  
Inter Marriages/Relationships

## संवाद

अंतर्धार्मिक विवाहों/संबंधों के बारे में  
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल  
धनक द्वारा प्रकाशित पुस्तिका

# Introduction

**T**his booklet is an attempt to answer some of the common queries that are usually faced by aspiring young couples who decide to marry a person of other faith. Often, they are misguided by online discussion boards, inexperienced people, religious fanatics and others. The biased responses result in frustration, complications and failures.

Due to a lack of understanding and awareness about the Special Marriage Act and other legal provisions related to solemnisation or registration of marriage, the inter-religious relationship takes on a complex shape. Without the knowledge of choices available to them, couples invariably opt for a religious marriage leading to unnecessary religious conversion. This further solidifies the gender/religious/social stereotypes. With awareness and guidance, this is entirely avoidable.

Apart from the lack of knowledge of legal provisions, there are a certain set of questions posed by the parents of aspiring couples. Often, couples are unequipped to handle these queries; especially at a time when emotions run high. In addition, unawareness causes desperate couples to easily fall into the trap of crooks and agents who often extort huge sums of money from them.

To facilitate aspiring couples, we have compiled the most common and frequently asked questions along with their probable answers/suggestions in this booklet.

It is noteworthy that all suggestions presented are based on the practical experience of the members of Dhanak.

# भूमिका

यह पुस्तिका ऐसे कुछ सवालियों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश है जो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से आमतौर पर पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालियों को लेकर ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स पर होने वाली चर्चाओं पर अनुभवहीन लोगों, धार्मिक कट्टरपंथियों और ऐसे ही तत्वों का काफी प्रभाव दिखाई पड़ता है। लिहाजा, वहां जो पूर्वग्रहग्रस्त प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वे हताशा, पेचीदगी और विफलताओं की संभावना को और बढ़ा देती हैं।

विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज ऐक्ट) और शादी के पंजीकरण से संबंधित दूसरे कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता और समझ की कमी के कारण अंतर्धार्मिक संबंध प्रायः बहुत जटिल रूप ले लेते हैं। चूंकि नौजवानों को यह पता नहीं होता कि अपनी मर्जी के व्यक्ति से शादी करने के लिए उनके पास कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं, इसलिए वे आमतौर पर धार्मिक विवाह का रास्ता चुनते हैं। इसकी वजह से अनावश्यक और अनचाहे ही उन्हें धर्मांतरण का फैसला भी मंजूर करना पड़ता है। इससे जेंडर/धर्म/सामाजिक स्टीरियोटाइप और पुख्ता हो जाते हैं। अगर लोगों के पास जागरूकता और सही मार्गदर्शन हो तो ऐसी अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है।

कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारियों के अभाव के अलावा कुछ खास सवाल ऐसे संभावित जोड़ों के माता-पिता द्वारा भी पूछे जाते हैं। आमतौर पर ये जोड़े इन सवालियों के संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं होते। खासतौर से एक ऐसे मुकाम पर, जब उनकी भावनाएं बहुत तेज होती हैं। जानकारियों के अभाव में ऐसे हताश युगल बहुधा जालसाजों और ठगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं जो उनसे किसी न किसी तरह अच्छी-खासी रकम ऐंठने के चक्कर में रहते हैं।

ऐसे ही जोड़ों के लिए हमने कुछ ऐसे सवालियों की फेहरिस्त तैयार की है जो उनसे आमतौर पर पूछे जाते हैं।

याद रखें कि यहां हमने इन सवालियों पर जो सुझाव दिए हैं वे धनक के सदस्यों के व्यक्तिगत या वास्तविक अनुभवों पर ही आधारित हैं।

# About Dhanak

**O**ur organization is a support and advocacy group for people who are either already in, or entering an inter-faith marriage/alliance. We address issues related to such alliances.

We advocate policy/legislative changes required to overcome the challenges faced in inter-faith marriages.

We address stereotypes, myths, and misconceptions that exist in our society associated with such relationships by holding dialogue and discussions about communalism, religious intolerance and related issues.

Our journey began in 2004 when a few inter-faith couples decided to get together with the intention to form a forum. The idea was to help people with similar backgrounds to come together and form a support structure for each other. More importantly, we wanted to create a platform for inter-faith families to discuss experiences, challenges and concerns and support each other. Dhanak has evolved organically, and over the years it has emerged as a Champion organization

working for the promotion of Right to Choice in the matters of Marriage and Relationships, and against Honour-Based Crimes in India. Dhanak is the only organization in India working on a spectrum of issues faced by inter-faith couples.

Uptill now Dhanak has touched the lives of over 700 couples. Dhanak's learnings are based on real-life experiences of these couples; be it dealing with their own value system and stereotypes, families or with administration and legal systems.

We believe that differences in religious backgrounds bring with it some unique issues and experiences, and we understand them well. We are confident that there are many such people who believe strongly in our vision and wish to be a part of it and support it.

As part of CHAYAN network, we work with social organizations and networks across India, on the issue of Right to Choose in relationships and against Honour Crimes.

## धनक के बारे में

हमारा संगठन ऐसे लोगों को सहायता और एडवोकेसी देता है जो या तो पहले से ही अंतर्धार्मिक विवाह या संबंधों में है या ऐसे विवाह/संबंधों की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम इस तरह के जोड़ों के सामने पेश आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद देते हैं।

हम अंतर्धार्मिक/अंतर्जातीय विवाहों में पेश आने वाली कठिनाइयों से

निपटने के लिए नीतियों और कानूनों के स्तर पर बदलाव के लिए आवाज उठाते हैं।

हम अपने समाज में इस तरह के संबंधों के बारे में फैले स्टीरियोटाइप्स, मिथकों और गलतफहमियों को दूर करने के लिए सांप्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता और ऐसे ही दूसरे मुद्दों पर संवाद और चर्चाओं का आयोजन करते हैं।

हमारा सफर 2004 में शुरू हुआ था जब कुछ अंतर्धार्मिक जोड़ों ने मिलकर एक मंच बनाने का फैसला लिया था। मकसद यह था कि हम अपने जैसे दूसरे लोगों को भी एकजुट होने और एक-दूसरे की मदद करने के लिए तैयार करें। सबसे बढ़कर, हम अंतर्धार्मिक परिवारों के लिए एक ऐसा मंच रचना चाहते थे जहां वे अपने अनुभवों, चुनौतियों और चिंताओं पर चर्चा कर सकें और एक-दूसरे को मदद दे सकें।

इसी मकसद और सोच को ध्यान में रखते हुए धनक का दायरा लगातार फैलता गया है और बीते सालों के दौरान यह शादी और प्रेम संबंधों में अपनी इच्छा मनवाने के अधिकार के पक्ष में तथा खानदान और इज्जत के नाम पर होने वाले अपराधों के खिलाफ एक प्रमुख संगठन के रूप में सामने आया है। आज धनक भारत में संभवतः एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंतर्धार्मिक या अंतर्जातीय जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं पर काम कर रहा है।

अब तक धनक 700 से ज्यादा जोड़ों की जिंदगी से जुड़ चुका है। चाहे खुद अपनी मूल्य-मान्यताओं या स्टीरियोटाइप्स से जूझने का सवाल हो या अपने परिवारों, शासन और कानून व्यवस्था की तरफ आने वाली रुकावटें हों, धनक की सीख और सबक इन्हीं जोड़ों के जीवन और अनुभवों पर आधारित है। हमारा मानना है कि धार्मिक पृष्ठभूमि में विविधता के साथ हमें कुछ खास तरह के अनुभव मिलते हैं और हम खास तरह के मुद्दों का सामना करते हैं। इसी तरह हम एक-दूसरे को ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं। हमें यकीन है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी इस सोच में गहरा यकीन रखते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं।

चयन नेटवर्क का हिस्सा होने के नाते हम देश भर के सामाजिक संगठनों और नेटवर्कों के साथ मिल कर अपनी इच्छा का/की जीवन साथी चुनने के अधिकार के समर्थन में और बिरादरी व परिवार की इज्जत के नाम पर होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं।

## Common Code | कॉमन कोड

Dhanak, with its vast experience of working closely over the years with inter-religious couples, has come up with what it considers a “list of essentials” to facilitate their decision making.

अंतर्धार्मिक/अंतर्जातीय जोड़ों के साथ सालों तक काम करने के बाद धनक की इस बारे में अपनी एक समझ है कि ऐसे जोड़ों की निर्णय प्रक्रिया में कौन सी चीजें जरूरी होती हैं।

If you feel too strongly about your religion and practices, seek all answers within the religious framework only and also expect/hope your partner to follow your thoughts and practices then you probably need to rethink your relationship!

अगर आपको अपने धर्म और रीति-रिवाजों से गहरा लगाव है, आप सारे जवाब अपने धर्म के दायरे में ही ढूंढना चाहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आपका/आपकी जोड़ीदार भी आपकी सोच और आपके तौर-तरीकों को स्वीकार कर लेंगे तो शायद आपको अपने संबंध के बारे में एक बार फिर सोचने की जरूरत है!

Be prepared for resistance and initial rejection from your families. Keep in mind, your parents may not have seen many inter-religious families in their lifetime. To them, it is a new concept and one that goes against the social norm. If you expect them to accept your relationship at the very first go... it is highly unlikely! It takes several discussions to make them understand and convince them that you are serious about it and that such marriages exist.

अपने परिवारों की तरफ से विरोध और शुरुआती अस्वीकृति के लिए तैयार रहिए। याद रखें, आपके माता-पिता ने भी अपने जीवन में अंतर्धार्मिक परिवार और शादियां ज्यादा नहीं देखी होंगी। उनके लिए अभी भी यह एक नई बात है, एक ऐसी चीज है जो उनके हिसाब से सामाजिक कायदे-कानूनों के खिलाफ जा रही है। अगर आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वे आपके प्रस्ताव का जिक्र आते ही इसे चुपचाप मान लेंगे... तो ऐसी उम्मीद करना थोड़ा अनुचित होगा! उनको यह समझाने और इस बात पर राजी करने के लिए आपको कई बार चर्चा करनी पड़ेगी कि आप अपने प्रस्ताव के बारे में कितने संजीदा हैं और इस तरह की शादियां भी दुनिया में होती हैं।

You love your parents and know them better than anyone else! If you feel that they will not accept, but at the same time there is scope for dialogue and negotiations, then be patient and continue the conversations. Despite all efforts if they do not agree, set a time-frame for yourself. You cannot wait forever. Often, it's your relationship that suffers the most. In most cases, parents come around when they find you have finally married and settled. Often their denial, unknown fears, and resistance is due to social pressures which fade away when they see their children happily married.

आप अपने माता-पिता से प्यार करते हैं। जितना आप उनको जानते हैं, और कोई नहीं जानता। अगर आपको ऐसा लगता है कि वे आपके संबंध को स्वीकार करने वाले नहीं हैं मगर उनके साथ संवाद और बातचीत की गुंजाइश दिखाई दे रही है तो हिम्मत न हारें। धीरज रखें और बातचीत करते रहें। अगर वे तमाम कोशिशों के बावजूद राजी नहीं होते हैं तो अपने लिए एक समयसीमा तय कर लें। आप भी ताउम्र तो इंतजार नहीं कर सकते। इस सारे तनाव की मार अक्सर आपके संबंध को ही झेलनी होती है। ज्यादातर मामलों में यही होता है कि जब मां-बाप को पता चलता है कि आपने शादी कर ली है और घर बसा लिया है तो वे मान ही जाते हैं। उनका नकार, उनके अनजाने डर और उनका विरोध आमतौर पर सामाजिक दबावों की वजह से होता है मगर जब वे देखते हैं कि उनके बच्चे अब शादीशुदा हैं और हंसी-खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो उनका यह विरोध भी टंडा पड़ने लगता है।

If you feel their resistance may turn violent, we recommend you wait for some time to let things cool down. This is perhaps a good time to seek assistance from Dhanak or a similar support group you trust.

अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका विरोध हिंसक रूप ले सकता है तो हमारा सुझाव यही है कि आप कुछ समय इंतजार करें, चीजों को ठंडा होने दें। ऐसे मौके पर आपको धनक या ऐसे ही किसी सहायता समूह से मदद लेनी चाहिए।

Respect each other's differences. Differences enrich our lives.

एक-दूसरे के मतभेद का आदर करें मतभेद हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं ।

Remember, your partner and you will not agree on everything. At times, it is okay to, agree to disagree.

याद रखें, आप और आपके जोड़ीदार हमेशा, हर बात पर एक-दूसरे से सहमत नहीं होंगे। कभी-कभी आपको असहमत होने की सहमति को ज्यादा महत्व देना होगा।

It is important for both of you to complete your education and be financially stable. Being financially independent gives you the freedom to make your life's decisions with confidence!

आप दोनों के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी शिक्षा पूरी करें और आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हों। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर आपको अपनी जिंदगी के बारे में आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने की आजादी और मौका मिलने लगता है! आपसी फर्क का सम्मान करें। इन विविधताओं से ही जिंदगी समृद्ध होती है!

You are about to enter an inter-religious marriage. Keep in mind, it is as normal as any other marriage, however, for others it is not! Take pride in your decision and be prepared for questions, not because you have done something wrong, but because people are curious about such relationships.

आप एक अंतर्धार्मिक विवाह में बंधने जा रहे हैं। खयाल रखें कि यह भी उसी तरह का एक सामान्य विवाह है जैसे कोई भी विवाह होता है। मगर, आपके अलावा दूसरों के लिए यह वैसा सामान्य विवाह नहीं है। आप अपने फैसले पर फख महसूस करें, तमाम तरह के सवालियों से निपटने के लिए तैयार रहें। इसलिए नहीं कि अपने कुछ गलत कर दिया है बल्कि इसलिए क्योंकि लोग आपके जैसे संबंधों के बारे में एक जिज्ञासा रखते हैं।

If you feel guilty/regretful/sad for hurting your family because of your decision, it is important to work towards getting rid of these emotions. These emotions need to be worked out at the earliest or this may weaken your relationship. Work on strengthening your own relationship. Remember, you have done nothing wrong!

यदि अपने फैसले की वजह से कई बार आपको अपराधबोध/पछतावा/दुख महसूस होगा। खुद को इन नकारात्मक भावनाओं से बचाने की कोशिश करें। इन भावनाओं को जल्दी से जल्दी दूर कर देना जरूरी होता है वरना ये आपके ताल्लुक को खाने लगती हैं। पहले अपने संबंध को सींचने पर ध्यान दें। याद रखें, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है!

Celebrate your life, relationship and the diversity in your own family with no guilt and pressure. Festivals and ceremonies can be celebrated without giving a religious angle to it.

अपनी जिंदगी, अपने ताल्लुक और अपने परिवार में इस विविधता का बिना किसी अपराधबोध और दबाव के जश्न मनाएं। त्योहारों और उत्सवों को बिना धार्मिक कोण के भी मनाया जा सकता है।

# Dhanak Knows!

## धनक को मालूम है!



### PARENTS SAY -

“Such marriages never last”!

### DHANAK RESPONDS -

Mixed marriages are no different. Like any other marriage, it may or may not work... Just start noticing the successful mixed marriages around you!

माता-पिता कहते हैं -

“ऐसी शादी टिका नहीं करती!”

धनक का जवाब -

मिश्रित विवाह भी दूसरे विवाहों से अलग नहीं होते। दूसरी शादियों की तरह यह शादी भी टिक सकती है या टूट सकती है...। जरा गौर करना शुरू कीजिए कि आपके आसपास सफल मिश्रित विवाह कितने दिखाई पड़ते हैं!

PARENTS SAY “What about the kids' identity! They will be confused!”

### DHANAK RESPONDS -

We are confused, not the kids.

As parents you need to have clarity and consensus about the religious identity you wish to give to your kids, though there is no one way of determining it. One's that is done children won't be confused.

Even giving a mixed identity is not problematic. It is inclusive and instils an appreciation of different cultures.

मां-बाप कहते हैं - बच्चों की पहचान क्या होगी? वे तो सदा कन्फ्यूज रहेंगे!

धनक का जवाब -

कन्फ्यूज हम हैं, बच्चे नहीं। मगर हम यह कन्फ्यूजन बच्चों को सौंप कर नहीं जाना चाहते...।

मां-बाप के जहन में इस बात को लेकर एक स्पष्ट सहमति होनी चाहिए कि वे अपने बच्चों को कौन सी पहचान देना चाहते हैं हालांकि यह तय करने का किसी के पास कोई नुस्खा नहीं है।

मिश्रित पहचान कन्फ्यूज नहीं करती। वह हमारे भीतर विविध संस्कृतियों को अपनाने का भाव भरती है।

**PARENTS SAY -**

Your partner has to convert! How can you marry without conversion?

**DHANAK RESPONDS -**

Marriage without conversion is possible! One can have a civil marriage under the Special Marriage Act. It does not require a change in name or religion.

मां-बाप कहते हैं -

आपके/आपकी जोड़ीदार को धर्म बदलना होगा। उसके धर्म बदले बिना तुम शादी कैसे कर सकते/सकती हो?

धनक का जवाब -

धर्मांतरण के बिना भी शादी पूरी तरह मुमकिन है। आप विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज ऐक्ट) के तहत सिविल मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए न तो नाम बदलने की जरूरत पड़ती है न ही धर्म।

**YOU ASK -**

Many forms have a column on religion. What religion should I fill in?

Our child does not follow any of the given options!

**DHANAK RESPONDS -**

Many of us write humanity/humanism. However sometimes forms do not provide the option of writing it in. In such cases, we prefer opting for: "others".

आप पूछते हैं -

बहुत सारे फॉर्म में धर्म का भी कॉलम होता है। वहां मुझे कौन सा धर्म भरना चाहिए?

हमारे बच्चे तो उसमें दिए गये किसी धर्म का पालन नहीं करते!

धनक का सुझाव -

ऐसे में हममें से बहुत सारे लोग धर्म वाले कालम में 'मानवता'/'मानववाद'/'इंसानियत' लिख देते हैं। कई बार फॉर्म में धर्म लिखने का विकल्प नहीं होता। आपको दिए हुए विकल्पों में से ही चुनना होता है। ऐसी स्थिति में हम "अन्य" का विकल्प अपनाने का सुझाव देते हैं।



**YOU ASK -**

I want my partner to convert for the sake of my family. She/he can just pretend to have converted. This will make my parents happy...

**DHANAK RESPONDS -**

Marriage is based on mutual trust and respect. Pretence may give you acceptance for a short time, but parents will be hurt when they find out that they are being deceived. It will also exert a lot of pressure on you and your spouse if you decide to pretend. Look for long term and strong relationship goals both with your partner and parents and things will be fine!

आप पूछते हैं -

मैं चाहता/चाहती हूँ कि मेरा/मेरी जोड़ीदार मेरे घरवालों की खुशी के लिए अपना धर्म बदल लें। बस उसे ये दिखावा करना होगा कि उसने अपना धर्म बदल लिया है। मेरे मां-बाप इसी से खुश हो जाएंगे।

धनक का जवाब -

शादी का संबंध आपसी भरोसे और सम्मान की बुनियाद पर खड़ा होता है। दिखावे से आपको कुछ समय के लिए तो स्वीकृति मिल सकती है मगर एक न एक दिन तो उनको पता चल ही जाएगा कि आपने उनको धोखा दिया था। उस वक्त उनके दिल को जो चोट पहुंचेगी उसका अंदाजा लगाइए। अगर आप दिखावा करने का फैसला लेते हैं तो इससे आपके/आपकी जोड़ीदार पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाएगा। अपने और अपने जोड़ीदार दोनों को ध्यान में रखते हुए लंबे दौर और गहरे ताल्लुक को मंजिल बनाइए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा!

**YOU ASK -**

We are from different faiths and got married in a religious ceremony. We wish to follow our respective religions but we just found out about the Special Marriage Act. Can we still get our marriage registered under the SMA?

**DHANAK RESPONDS -**

Yes, you can. Under Section 16 of SMA, you can get your religious marriage registered, converting it to a Civil Marriage. It will supersede all forms of marriages conducted prior to your registration under the SMA.

आपने पूछा है -

हम अलग-अलग धर्मों से हैं और हमने धार्मिक रीति से शादी की थी। अब हम दोनों अपने-अपने धर्मों के साथ बने रहना चाहते हैं। अभी हमें एसएमए यानी विशेष विवाह कानून के बारे में पता चला है। क्या हम अभी भी इसके तहत पंजीकरण करा सकते हैं?

धनक का सुझाव -

जी हां, बिलकुल करा सकते हैं! विशेष विवाह कानून की धारा ... के तहत आप अपने धार्मिक विवाह को विशेष विवाह कानून के तहत पंजीकृत करा सकते हैं। इस तरह, आपकी शादी एक सिविल मैरिज की श्रेणी में आ जाएगी। एसएमए के तहत पंजीकरण के बाद आपके विवाह की पुरानी परिभाषाएं समाप्त हो जाएंगी और यह केवल सिविल मैरिज के रूप में ही जाना जाएगा।

**PARENTS SAY -**

Marrying a person from a different faith is a sin... What will happen to you after death?

**POSSIBLE RESPONSE -**

My concept of sin is different. I personally believe it is not a sin, 'Right to Choose' is my personal and Constitutional Right.

“No one knows what will happen after death. I am more concerned with my present life and I am fully aware of the choice I am making. If your worries are about the last rites, I wish to reassure you that I will not convert. I will continue to be what I have been practicing which also means my last rites will be performed accordingly. For me, it is more important to live my life with respect and on my own terms.”

माता-पिता कहते हैं -

अलग धर्म के व्यक्ति से शादी करना पाप है...। मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा?

संभावित जवाब -

पाप और पुण्य की मेरी धारणा अलग है। निजी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे धर्म में शादी करना पाप नहीं है। अपना/अपनी जोड़ीदार चुनने का मुझे निजी और संवैधानिक अधिकार मिला है।

“कोई नहीं जानता कि मौत के बाद क्या होगा। मैं अपनी मौजूदा जिंदगी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हूँ और लिहाजा मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या फैसला ले रहा हूँ। अगर आपकी चिंताएं अंतिम संस्कार के बारे में हैं तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं धर्मांतरण नहीं कर रहा/रही हूँ। मैं वही रहूँगी/रहूँगा जो अब तक रहा/रही हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे अंतिम संस्कार भी मेरे मौजूदा धर्म और आस्था के अनुसार ही संपन्न होंगे। मेरे लिए सम्मान के साथ और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

मां-बाप कहते हैं -

अगर तुम दोनों अलग अलग धर्म का पालन करोगे तो एक दूसरे के धर्म को कभी इज्जत नहीं दे पाओगे. एक दूसरे को सारी जिंदगी यही साबित करते रहोगे कि मेरा धर्म ज्यादा सही है.

धनक का जवाब -

दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने के फैसले के साथ ही हम उसे "जैसा है वैसे ही" अपनाने का फैसला करते हैं. जब ये निर्णय लिया तब हम जानते थे की उसका धर्म क्या है और क्योंकि हम दोनों में से कोई भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है , तो धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए वह इंसान है. औरों की तरह हम दोनों को अपने अपने धर्मों को बेहतर साबित करने से ज्यादा अपने रिश्ते को मजबूत और पारिवारिक जिन्दगी को खुशहाल बनाने की कोशिश की जरूरत है.

**YOU ASK -**

Which method/ritual is the best to solemnize my marriage if my partner is from a different religion/ faith? Do I need to convert?

**DHANAK RESPONDS -**

This is your marriage and the process should be the one that you both are most comfortable with. However, it would help if you are clear about the reason to choose one method or the other. For inter-faith marriages, we believe that the Special Marriage Act, 1954 offers the most neutral way to solemnize a marriage. It does not require you to follow any religious ritual, you do not have to convert, and your rights are protected. Different personal laws will not apply to you.

Many couples choose to go for a religious marriage (based on the faith of one of the partners) as at present, the process takes less time as compared to the Special Marriage Act. Some couples also choose to go through rituals suggested by both side of families in order to seek their participation and blessings. It is very important that your partner/spouse is not forced to follow rituals against his/her wishes. Conversion is generally a problematic point and we strongly believe that no one should need to convert for the sake of marriage. It is important to recognize that conversion through few rituals does not mean that the identity of the person has changed in reality or that the person would start following a different faith after marriage.

In cases where couples choose to solemnize marriage through a religious mode, we still strongly recommend that you register your marriage under Special Marriage Act, 1954.

**आपने पूछा -**

अगर मेरा/मेरी जोड़ीदार किसी दूसरे धर्म/संप्रदाय से हो तो विवाह करने का सबसे अच्छा तरीका/अनुष्ठान क्या होगा?

**धनक का जवाब -**

यह आपकी शादी है और लिहाजा तरीका भी वही होगा जो आपको सबसे ज्यादा सुविधाजनक लगे। मगर, यदि आप अच्छी तरह जानते हों कि आप जो तरीका चुन रहे हैं वह क्यों चुन रहे हैं तो बेहतर होगा। हमारा मानना है कि अंतर्धार्मिक विवाह के मामले में विशेष विवाह कानून, १९५४ विवाह संपन्न कराने के लिए सबसे तटस्थ तरीका है। इसके लिए आपको न तो किसी धार्मिक रस्म की जरूरत होती है, न ही आपको धर्म बदलना पड़ता है और आपके सारे अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसी सूरत में आप पर अलग-अलग पर्सनल लॉ भी लागू नहीं होंगे।

बहुत सारे जोड़े धार्मिक विवाह (यानी दोनों में से किसी एक जोड़ीदार के धर्म के तहत विवाह) को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि विशेष विवाह कानून के मुकाबले इस तरीके में कम समय लगता है। कुछ जोड़े दोनों पक्षों के घरवालों द्वारा सुझाए गए अनुष्ठानों के हिसाब से भी शादी करते हैं ताकि दोनों पक्षों की हिस्सेदारी और आशीर्वाद मिल जाए।

यहां यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने जोड़ीदार/पति/पत्नी को उसकी इच्छाओं के खिलाफ कोई अनुष्ठान मानने के लिए बाध्य न करें। धर्मांतरण आमतौर पर एक समस्याप्रद बिंदू रहा है और हमारा गहरा विश्वास है कि किसी को भी केवल शादी के लिए धर्म नहीं बदलना चाहिए। इमें इस बात को पहचानना चाहिए कि चंद अनुष्ठानों के माध्यम से किये गये धर्मांतरण का ये मतलब नहीं है कि वास्तव में इंसान की पहचान बदल जाएगी या वह व्यक्ति शादी के बाद एक अलग धर्म के अनुसार आचरण करने लगेगा/लगेगी। जिन लोगों ने एक धार्मिक पद्धति से विवाह किया है, उनके लिए भी हमारा दृढ़ सुझाव है कि आप अपनी शादी को विशेष विवाह कानून १९५४ के तहत दर्ज करा लें।

माता-पिता कहते हैं -

तुम्हारी वजह से हमारी नाक कट जायेगी हम लोगों को क्या जवाब देंगे?

धनक का जवाब -

आपको मालूम है कि आपके परिवार को आपकी फिक्र है और वे आपको खुश देखना चाहते हैं ...वहीं आपको यह भी मालूम है कि आप क्या चाहते हैं और आपकी खुशी किसमें है. फैसला आपकी जिन्दगी का है और जाहिर है आपने सोच समझ कर लिया है. लोग तो बातें बनाते हैं. आप अपने परिवार को बताइए की हमारी जवाबदेही खुद को है, लोगों को नहीं. आपके माता पिता का लोगों को खुलकर इतना कहना काफी है की यह आपका फैसला है. अपने परिवार को बताइए की आपको उनसे उम्मीद है की वे हमेशा की तरह आपका साथ देंगे, उन्हें यह भी बताइए की उनका साथ और विश्वास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका साथ होगा तो लोगों की सोच अपने आप सम्भल जायेगी. यदि वे आपका साथ देंगे, तो लोग अपने आप चुप हो जायेंगे.

**YOU ASK -**

What about the name and religion of our children?

**DHANAK RESPONDS -**

We believe that as parents you would want your kids to be good and compassionate human beings, and these are the values your children with learn from both of you....Religion has a very little role!

Inter-religious families can be so enriching if all festivals are celebrated and humanitarian values rather than religious practices are encouraged.

While some people give neutral names which do not signify any particular religion, others do away with the family name since most surnames are caste/family based but at the same time, having a second neutral name is always a good idea.

Finally, it is the creativity and consensus of you both that works the best in naming your child !

आप पूछते हैं -

हमारे बच्चों के नाम और धर्म क्या होंगे?

धनक का सुझाव -

माता-पिता के तौर पर आप भी यही चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक और सहृदय मनुष्य बनें। आपके बच्चे आप दोनों से ये मूल्य सीखेंगे...। इसमें धर्म का कोई खास दखल नहीं होगा। सिर्फ एक धर्म के रीति-रिवाज अपनाने की बजाय अगर सारे धर्मों के त्योहार मनाए जाएं तो अंतर्धार्मिक परिवार कितने समृद्ध दिखाई पड़ते हैं!!

कुछ लोग अपने बच्चों को ऐसे नाम देने की कोशिश करते हैं जिनसे किसी खास धर्म का संकेत न मिलता हो। कुछ लोग परिवार का नाम त्याग देते हैं क्योंकि ज्यादातर सरनेम जाति या परिवार की पहचान को दर्शाते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों के नाम में सरनेम के स्थान पर कोई तटस्थ शब्द जोड़ सकते हैं।

कुल मिलाकर यह आप दोनों की रचनात्मकता और आपसी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे के लिए किस तरह का नाम रखेंगे।

**YOU ASK -**

Is it possible to stay in a joint family after a mixed marriage?

**DHANAK RESPONDS -**

Staying in a joint family requires a lot of maturity from all family members. This is true for any family, and mixed couples are no exception! We have instances where couples are staying happily in joint families. You know your parents best, and the possible issues that may arise if staying together. We suggest you take a call accordingly, however, it is important that your spouse is comfortable and in agreement with this.

Since it is important to focus on your own relationship during the initial period of marriage, we believe, that if possible, staying separately will give enough time and space to strengthen your relationship. This will minimise external factors impacting your initial adjustment together. We also like to emphasise that you should continue your dialogue and communication with your respective families.

For those cases in which it is absolutely necessary, try to live close to your parents, so that you are available at the time of need and at the same time minor issues arising out of differences leading to hurt and mistrust can be avoided.

आपने पूछा है -

क्या मिश्रित विवाह के बाद आप संयुक्त परिवार में रह पाएंगे?

धनक का सुझाव -

संयुक्त परिवार में रहने के लिए परिवार के सभी लोगों की परिपक्वता महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे, यह बात मिश्रित विवाह के मामले ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के संबंधों के लिए सच है। हम ऐसे कई उदाहरण जानते हैं जहां दो अलग-अलग धर्मों के पति-पत्नी संयुक्त परिवार में खुशी-खुशी रह रहे हैं। आप भी अपने माता-पिता का उदाहरण देख सकते हैं। लिहाजा, आप संयुक्त परिवार में साथ रहने और इससे पैदा होने वाले संभावित मुद्दों को भी जानते होंगे। हमारा सुझाव है कि आप इन सारी बातों को जेहन में रखते हुए ही कोई फैसला लें। सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी फैसला लेना चाहते/चाहती हैं उसमें आपके जोड़ीदार भी सहज महसूस करें और आपसे सहमत हों।

चूंकि किसी भी शादी के शुरुआती दौर में अपने संबंध पर ही ध्यान देना बहुत जरूरी होता है इसलिए हो सके तो शुरू में परिवार से अलग रहने से दोनों जोड़ीदारों को अपने संबंध को सींचने के लिए पर्याप्त समय और जगह मिल जाती है। ऐसे में शुरुआती एडजस्टमेंट्स के दौरान बाहरी वजहों से आपके रिश्ते पर दबाव नहीं पड़ेगा। हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि आपको इस दौरान अपने अपने परिवारों से भी संवाद और बातचीत जारी रखना चाहिए।

जहां ऐसा बिलकुल अनिवार्य हो जाए, वहां भी अपने माता-पिता के निकट ही रहने की कोशिश करें ताकि आप उनकी जरूरत के समय उनके लिए उपलब्ध हों और मतभेद की वजह से पैदा होने वाले छोटे-छोटे मसलों से भी बचे रहें।

**YOU ASK -**

I have heard that it is difficult to get a rental accommodation. Both of us want to stay in a mixed community housing area.

**DHANAK RESPONDS -**

There are instances where people have faced difficulties in getting a rental accommodation, however, interfaith marriage is hardly the reason. In most cases where your own conviction and openness is strong enough, it is not too difficult to find a rental accommodation. In fact, most of us started our married lives in a rental accommodation. Once again, it is important to mention here that financial independence is very important, you will be in a better position to negotiate and decide about the area and location.

It is always preferable to stay in a residential area which has a mixed population. It helps in better adjustment for both and ensures exposure to diversity and inclusion of the children as well. It also reduces possible pressure on both the partners from the community that is dominant in the area.

**आपने पूछा है -**

मैंने सुना है कि मिश्रित जोड़ों को किराए पर मकान ढूँढने में भी मुश्किल होती है। हम दोनों किसी मिश्रित आवासीय इलाके में रहना चाहते हैं।

**धनक का सुझाव -**

हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें किराए का मकान ढूँढने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। मगर, अंतर्धार्मिक विवाह की वजह से ऐसा हुआ हो यह प्रायः दिखाई नहीं पड़ता। जब दृढता और खुलापन होता है तो मिश्रित युगलों को भी किराए का मकान ढूँढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। हममें से ज्यादातर लोगों ने अपनी विवाहित जिंदगी की शुरुआत किराए के मकानों से ही की थी। एक बार फिर, यहां इस बात का जिक्र कर दें कि आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी सूरत में आप कहां रहना चाहते हैं, यह तय करने में आपको निश्चित रूप से ज्यादा आसानी होगी।

एक ऐसे आवासीय इलाके में रहना हमेशा बेहतर होता है जहां मिश्रित आबादी हो। इससे न केवल पति-पत्नी, दोनों को एडजस्टमेंट में आसानी होती है बल्कि बच्चों को भी विविधता और समावेशन, दोनों का अनुभव मिलता है। इससे इलाके के बहुल समुदाय की तरफ से दोनों जोड़ीदारों पर दबाव भी कम पड़ता है।

## Special Marriage Act, 1954

The Special Marriage Act was enacted to provide a special form of marriage by any person in India and all Indian nationals in foreign countries irrespective of the religion either party to the marriage may profess. One of the marrying individual can also be a foreigner.

For the benefit of Indian citizens abroad, it provides for the appointment of Diplomatic and Consular Officers as marriage officers for solemnizing and registering marriages between citizens of India in a foreign country.

The Act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir and also applies to citizens of India domiciled in the territories to which this Act extends who are in the state of Jammu and Kashmir.

Any two persons belonging to different religions may marry under this Act without changing their religions.

**Q: Who are governed by this Act?**

A: Any Indian and a foreigner residing in India.

**Q: What are the conditions for a valid marriage under this Act?**

A: Any two persons belonging to different religions may marry under this Act without changing their religions.

1. Neither party should have a spouse living at the

## विशेष विवाह कानून, 1954

विशेष विवाह कानून (स्पेशल मैरिज ऐक्ट, १९५४) इस उद्देश्य से पारित किया गया था ताकि भारत में रहने वाले या दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अलग-अलग धर्मों से होते हुए भी विवाह कर सकें। इस कानून के तहत शादी करने वाले जोड़ों में अगर एक जोड़ीदार किसी दूसरे देश का/की नागरिक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती।

दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ध्यान में रखते हुए इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि वे डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर आफिसर के दफ्तर में जाकर भी शादी कर सकते हैं। वहां उनकी शादी का पंजीकरण कराया जा सकता है।

विशेष विवाह कानून जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के पूरे भूभाग में लागू है। यह कानून भारत के उन नागरिकों पर भी लागू होता है जो जम्मू-कश्मीर के भीतर किसी ऐसे भूभाग के निवासी हैं जहां यह कानून प्रभावी है।

इस कानून के तहत अलग-अलग धर्मों को मानने वाले दो व्यक्ति अपना धर्म बदले बिना शादी कर सकते हैं।

प्रश्न : यह कानून किन पर लागू होता है?

उत्तर : किसी भी भारतीय तथा भारत में रहने वाले विदेशियों पर।

प्रश्न : इस कानून के तहत वैध विवाह के लिए कौन-सी शर्तें होती हैं?

उत्तर : अलग-अलग धर्मों से जुड़े कोई भी दो व्यक्ति इस कानून के तहत अपना धर्म बदले बिना भी शादी कर सकते हैं। बशर्ते :

time of marriage. Widow, widower and a divorcee may exchange wedding vows under this Act.

2. Neither party should be incapable of giving a valid consent in consequence of unsoundness of mind.
3. Neither party should be suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children.
4. Neither party should be suffering from incurable insanity.
5. Parties should not be within degrees of prohibited relationship.
6. Age: Bridegroom: 21 years & Bride: 18 years.

**Q: What is the procedure for solemnization and registration of marriage under this Act?**

A: No religious ceremonies are required.

1. The marriage is solemnized a by Marriage Officer appointed by the Government.
2. Parties to the marriages shall give notice to the Marriage Officer in the prescribed manner.
3. Marriage Officer enters this information in the Register maintained by him and a public notice of this information is given by the Marriage Officer.
4. The Marriage is to be performed after 30 days of this public notice and before expiry of two months from issue of notice.
5. Before marriage the applicants and three witnesses shall sign a declaration in the form specified.
6. Marriage shall not be complete and binding unless each party says to the other in presence of Marriage Officer and three witnesses "I (A) take thee (B) to be my lawful wife/husband (in any language understood by the parties)."
7. The marriage is thus completed and recorded in a

9. दोनों में से किसी भी व्यक्ति का/की कोई जीवित जोड़ीदार न हों।  
विधवा, विधुर और तलाकशुदा व्यक्ति इस कानून के तहत आसानी से विवाह कर सकते हैं।

२. दोनों व्यक्तियों की दिमागी हालत सामान्य हो ताकि वे वैध सहमति दे सकें।

३. दोनों में से कोई भी व्यक्ति ऐसे मानसिक विकार से ग्रस्त न हों या वह विकार इतना गंभीर न हो कि विवाह संबंध को चलाने और बच्चे पैदा करने के लिए बाधा बन जाए।

४. दोनों में से कोई भी जोड़ीदार लाइलाज पागलपन से ग्रस्त न हों।

५. दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के दायरे में न आते हों।

६. उम्र : दूल्हा - २१ वर्ष; दुल्हन - १८ वर्ष।

प्रश्न : इस कानून के तहत शादी संपन्न कराने और उसका पंजीकरण कराने की प्रक्रिया क्या होती है?

उत्तर : इसके लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती है।

१. यह शादी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए विवाह अधिकारी द्वारा संपन्न करायी जाती है।

२. इस विवाह से संबंध दोनों पक्ष निर्धारित पद्धति से विवाह अधिकारी को नोटिस देते हैं।

३. विवाह अधिकारी इस सूचना को अपने रजिस्टर में दर्ज करता/करती है और इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस विवाह अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

४. यह विवाह सार्वजनिक नोटिस जारी होने के ३० दिन बाद और ६० दिन से पहले हो जाना चाहिए।

५. विवाह से पहले आवेदकों और तीन गवाहों को निर्धारित घोषणा पर दस्तखत करने होते हैं।

६. यह विवाह तब तक पूरा और बाध्यकारी नहीं होता जब तक दोनों पक्ष विवाह अधिकारी और तीन गवाहों के सामने एक-दूसरे को यह आश्वासन नहीं देते कि "मैं (क) ..... (ख)



book kept for that purpose. The entry is signed by the applicants and the witnesses.

**Q: Where can the marriage be solemnised?**

The marriage may be solemnized at the office of the Marriage Officer who can be a District

Magistrate/District Collector/Additional District Magistrate/Sub-Divisional

Magistrate/Tehsildar, under whose jurisdiction house of the marrying parties belong.

However, no marriage is complete and binding unless each party says to the other in the presence of the Marriage Officer and the three witnesses in any language understood by the parties, I \_\_\_\_\_ take thee \_\_\_\_\_ to be my lawful wife (or husband)

**Q: What is the proof of this Marriage?**

After the marriage has been solemnized the Marriage Officer shall enter a certificate in the Marriage Certificate Book and this shall be signed by the parties to the marriage and the three witnesses and this shall be conclusive evidence of the marriage. A copy of marriage certificate is issued on the same day of marriage solemnisation.

**Q: Can the divorced couple remarry under the Special Marriage Act?**

A: Yes. Provided there is a valid decree related to divorce is available with the divorcee.

को अपना/अपनी विधिसम्मत पत्नी/पति मानता/मानती हूँ।  
(यह शपथ दोनों पक्षों को समझ में आने वाली भाषा में होगी।)

७. इस तरह यह शादी पूरी हो जाती है और उसे निर्धारित रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। दोनों आवेदक और विवाह इस पुष्टि पर दस्तखत करते हैं।

प्रश्न : यह शादी कहां संपन्न हो सकती है?

उत्तर : यह शादी विवाह अधिकारी के कार्यालय में ही संपन्न होती है। यह अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/एडीशनल जिला मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार हो सकते हैं जिनके शासन क्षेत्र में दोनों जोड़ीदारों का निवास हो।

यह विवाह तब तक पूरा और बाध्यकारी नहीं होता जब तक दोनों पक्ष विवाह अधिकारी और तीन गवाहों के सामने एक-दूसरे को यह आश्वासन नहीं देते कि "मैं (क) ..... (ख) को अपना/अपनी विधिसम्मत पत्नी/पति मानता/मानती हूँ।

प्रश्न : इस शादी का सबूत क्या होता है?

उत्तर : शादी के बाद विवाह अधिकारी विवाह प्रमाणपत्र पुस्तिका में एक प्रमाणपत्र दर्ज करते हैं जिस पर दोनों पक्षों और तीन गवाहों के दस्तखत होते हैं। यही इस शादी का पक्का सबूत होता है। इस प्रमाणपत्र की एक प्रति शादी संपन्न होने के साथ ही पति-पत्नी को दे दी जाती है।

प्रश्न : अगर पहले एक-दूसरे को तलाक दे चुके दंपति फिर से आपस में शादी करना चाहते हैं तो क्या वे विशेष विवाह कानून के तहत शादी कर सकते हैं?

उत्तर : जी हां, बशर्ते उनके पास तलाक का वैध सबूत हो।

**Q: Can a marriage celebrated in other form/ religious marriage be registered under SMA**

Any marriage celebrated other than a marriage solemnized under the Special Marriage Act, 1872 or under the Special Marriage Act, 1954 may be registered under Chapter III of the Act by a Marriage Officer if the following conditions are fulfilled:

- A ceremony of marriage has been performed between the parties and they have been living together as husband and wife ever since
- Neither party has at the time of registration more than one spouse living;
- Neither party is an idiot or a lunatic at the time of registration
- The parties have completed the age of twenty-one year at the time of registration;
- The parties are not within the degrees of prohibited relationship;
- The parties have been residing within the district of the Marriage Officer for a period of not less than thirty days immediately preceding the date on which the application is made to him for registration of the marriage.

**PROCEDURE FOR REGISTRATION**

Upon receipt of an application signed by both the parties to the marriage for the registration, the Marriage Officer shall give public notice thereof in such manner as may be prescribed and after allowing a period of thirty days for objection and after hearing any objection received within that period, shall, if satisfied that all the conditions are fulfilled, enter a certificate of the marriage in the Marriage Certificate Book in the prescribed form and such certificate shall be signed by the parties to the marriage and by three witnesses.

प्रश्न : क्या किसी अन्य प्रकार से हुई शादी या धार्मिक रीति से हुई शादी को भी विशेष विवाह कानून के तहत पंजीकृत कराया जा सकता है?

उत्तर : विशेष विवाह कानून, 1954 या विशेष विवाह कानून, 1872 के अलावा किसी और रीति से की गई शादी को भी इस कानून के अध्याय 3 के तहत विवाह अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत कराया जा सकता है। इसके लिए आवेदकों को इन शर्तों का पालन करना होगा :

- विवाह समारोह दोनों पक्षों के बीच संपन्न हुआ हो और वे तभी से पत्नी और पत्नी के रूप में साथ रह रहे हों।
- पंजीकरण के समय किसी भी जोड़ीदार का/की एक से अधिक जोड़ीदार न हों।
- पंजीकरण के समय कोई भी व्यक्ति बेवकूफ या उन्मादग्रस्त न हो।
- दोनों पक्षों ने पंजीकरण के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के दायरे में न आते हों।
- दोनों पक्ष विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले से संबंधित विवाह अधिकारी के जिले में निवास कर रहे हों।

पंजीकरण की प्रक्रिया -

विवाह पंजीकरण के लिए दोनों पक्षों से हस्ताक्षरयुक्त आवेदन मिलने पर विवाह अधिकारी इस बारे में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे। इस नोटिस के माध्यम से ३० दिन का समय इस प्रस्तावित पंजीकरण के विरुद्ध आपत्तियों के लिए दिया जाएगा। अगर इस दौरान किसी तरह की आपत्ति आती है तो उसकी सुनवाई करने के बाद और अगर आवेदक सारी शर्तों पर खरे उतरते हैं तो विवाह अधिकारी विवाह प्रमाणपत्र पुस्तिका में इस विवाह का प्रमाणपत्र दर्ज कर देंगे। इस प्रमाणपत्र पर दोनों आवेदकों और तीन गवाहों के दस्तखत होंगे।

**Q: Why should I register my marriage under SMA?**

A: It is advisable for an inter-religious couple to register their religiously solemnised marriage under SMA. The marriage will become civil marriage and will be governed by the civil laws related to maintenance, divorce, succession etc. Moreover, validity of religious marriage is easy to challenge in the court in comparison to SMA. Visit to other countries for job or other reasons will be smooth as the certificate of SMA is non-questionable by the authorities.

प्रश्न : विशेष विवाह कानून के तहत मुझे क्यों अपनी शादी का पंजीकरण कराना चाहिए?

उत्तर : किसी भी अंतर्धार्मिक जोड़े के लिए अपनी धार्मिक रीति से संपन्न हुए विवाह का विशेष विवाह कानून के तहत पंजीकरण कराना बेहतर होता है। इस तरह यह विवाह सिविल मैरिज की श्रेणी में आ जाता है। गुजारे-भत्ते, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध में सिविल मैरिज सिविल कानूनों के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा, विशेष विवाह कानून के मुकाबले धार्मिक रीति से हुए विवाह को अदालत में आसानी से चुनौती दी जा सकती है। चूंकि विशेष विवाह कानून के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्र पर कोई अधिकारी प्रश्न नहीं उठा सकता इसलिए नौकरी या किसी और काम के लिए दूसरे देशों में जाने में भी आसानी होता है।



### **Dhanak of Humanity**

Address of Correspondence:

SRUTI: Q-1, Hauz Khas Enclave, New Delhi 110016

Email: [dhanak04@rediffmail.com](mailto:dhanak04@rediffmail.com), [dhanak4humanity@gmail.com](mailto:dhanak4humanity@gmail.com)

Phone: +91-11-26569023, 8750157676

Website: <https://dhanak.info>

Facebook: <http://www.facebook.com/dhanak.interfaithmarriages>

Twitter: @RightToCh00se

### **Editorial Support**

Shailaja Rao

Dr. Shweta Verma

Vasuda Arora

Asif Iqbal

Ranu Kulshrestha

Akanksha Sharma

**With valuable inputs from**

Rashmi Shekhar, Shivangi Gupta, Shabana Siddiqui, Mohd. Suaib, Sumit Singh

**Dhanak's heartfelt gratitude to  
Shri Surendra Kapur and Dr. Farhat**